निर्णय ब इजलास संदेश नायक आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 17/2024 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जरिये अरविन्द सिंह शेखावत, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्रीमती आशु गुप्ता पत्नी श्री अनिल गुप्ता, निवासी 2/566, फर्स्ट फ्लोर, सतसाई कॉलेज के पास, जवाहर नगर, जयपुर पार्टनर ऑनर मैसर्स आनन्द एनर्जी सर्विस, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 14.2 किलोग्राम क्षमता के 03 घरेलू गैस सिलेण्डर (01एच.पी.सी. एवं 02 आई.ओ.सी.) 01 सिलेण्डर रिलायन्स कम्पनी, 02 छोटे सिलेण्डर क्षमता 2 किलोग्राम मय एलपीजी 12.100 किलोग्राम, एक बांसूरी (गैस भरने का यंत्र) को साजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थित:–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री हेमन्त सैनी अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 14.05.2026

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के अवैध रिफिलिंग की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक 24.04.2024 को मैसर्स आनन्द एनर्जी सर्विस, फ्लेट नम्बर 2/566, प्रथम तल एवं ग्राउण्ड फ्लोर जवाहर नगर, जयपुर की जांच की गई। मौके पर अप्रार्थी श्रीमती आशु गुप्ता उपस्थित मिली। ग्राउण्ड फ्लोर के दो कमरे एकं लोडिंग टेम्पो और प्रथम तल पर स्थित फ्लेट की तलाशी में 04 घरेलू सिलेण्डर (01एच.पी.सी. एवं 02 आई.ओ.सी. 01 सिलेण्डर रिलायन्स कम्पनी), एक बांसूरी गैस स्थानान्तरण यंत्र, 02 किलोग्राम क्षमता के 2 छोटे सिलेण्डर पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रूप से गैस रिफलिंग करने का कार्य किया जाता हैं। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैघ व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है, जिनको जब्त किया गया है। जब्त सिलेण्डर को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 29.04.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री हेमन्त सैनी ने वकालतनामा पेश किया। आगामी पेशी पर वकील अप्रार्थी उपस्थित नहीं आये अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली बहस पैरोकार हेतु नियत की गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

3. बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मैसर्स आनन्द एनर्जी सर्विस, फ्लेट नम्बर 2/566, प्रथम तल एवं ग्राउण्ड फ्लोर जवाहर नगर, जयपुर की जांच की गई। मौके पर अप्रार्थी श्रीमती आशु गुप्ता उपस्थित मिली। ग्राउण्ड फ्लोर के दो कमरे एक लोडिंग टेम्पो और प्रथम तल पर स्थित फ्लेट की तलाशी में 04 घरेलू सिलेण्डर (01एच.पी.सी. एवं 02 आई.ओ.सी. 01 सिलेण्डर रिलायन्स कम्पनी), एक बांसूरी गैस स्थानान्तरण यंत्र, 02 किलोग्राम क्षमता के 2 छोटे सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 12.100 किलोग्राम पाये गये जिनको जब्त किया जाकर मैसर्स आनन्द गैस सर्विस, राजापार्क जयपुर के प्रतिनिधि श्री राजू शर्मा की सुपुदर्गी में दिये गये। मौके पर अप्रार्थी द्वारा अपने कन्जयूमर नम्बर 142303 बताया जिसके बारे में मौके पर ही आनन्द गैस सर्विस के कार्यकर्त्ता से उक्त कन्ज्यूमर नम्बर पर कोई गैस बुकिंग नहीं होना बताया। अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैध दस्तोवज पेश किया गया और न ही रिफिलिंग एवं व्यावसायिक उपयोग के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. विभागीय पैरोकार रसद को गौर से सुना। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 24.04.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

6. जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में अप्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच मौके पर 04 घरेलू सिलेण्डर (01एच.पी.सी. एवं 02 आई.ओ.सी. 01 सिलेण्डर रिलायन्स कम्पनी), एक बांसूरी गैस स्थानान्तरण यंत्र, 02 किलोग्राम क्षमता के 2 छोटे सिलेण्डर पाये गये। घरेलू एल॰पी॰जी॰ कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है इसके बावजूद अप्रार्थी फर्म द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रूप से छोटे सिलेण्डर में रिफिलिंग करने का उपयोग किया जा रहा था। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से 04 घरेलू सिलेण्डर (01एच.पी.सी. एवं 02 आई.ओ.सी. 01 सिलेण्डर रिलायन्स कम्पनी), एक बांसूरी गैस स्थानान्तरण यंत्र, 02 किलोग्राम क्षमता के 2 छोटे सिलेण्डर मय 12.100 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 29.04.2024 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो।

10. निर्णय आज दिनांक 14.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदेश नायक)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner